निर्णीत प्रकरण संख्या 02/2024
अपीलान्ट रविन्द्र कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 3 वाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :- 02/2024

रविन्द्र कुमार पुत्र चांदीराम आयु 44 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 03 गली नम्बर 1 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।

—:अपीलान्ट

—:: बनाम ::—

1. सरपंच ग्राम पंचायत 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सन्तू पुत्री फकीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. बंसीलाल पुत्र फकीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील जिला श्रीगंगानगर
4. प्रमोद कुमार पुत्र फकीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. ममता पुत्री फकीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. सरोज पुत्री फकीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. श्रीमती हरदेवी पत्नी फकीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—:रेस्पोडेण्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

—:: उपस्थित ::—

1. श्री अधिवक्ता विनोद कुमार भाटी	अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता	रेस्पोडेन्टस

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 05.02.2025

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खमाराम को चक 6 वाई का मु.न. 30 के किला नम्बर 22 ता 25 कुल 4 बीघा रकबा बतौर रिफ्यूजी मिला था जिसकी सनद नहीं बनी थी और गैर खातेदारी रकबा था, खमाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके कोई औलाद नहीं होने पर भतीजे चांदीराम, सोहन, गुलाब, सरदारी बाई को मैनेजिंग आफिसर द्वारा दिनांक 31.01.1974 को वारिस घोषित किया गया अब चांदीराम की मृत्यु हो चुकी है अपीलान्ट चांदीराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है और अपील पेश करने के अधिकारी है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 ता 7 के साथ दुरभिसंधि रचकर विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा तौर पर बिना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा प्राकृतिक सिद्धांतों की अवेहलना करते हुए दिनांक 04.10.2023 को इंतकाल कर दिनांक 05.10.2023 को मीटिंग दिखाकर तस्दीक कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। जो भूमि अपील में दर्ज की गई है वह भूमि गैर खातेदारी भूमि है और गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं हो सकती थी परन्तु इसके उपरांत भी वसीयत फर्जी दिखाकर न्यायालय को गुमराह कर आदेश पारित करवा लिया तथा उसके बाद उक्त आदेश की आड में बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जब की राजस्व अपील अधिकारी के यहां पर अपील विचाराधीन थी तथा उस अपील में रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता उपस्थित आए हुए थे तथा दिनांक 04.10.2023 को उक्त पत्रावली में एडमिशन पर बहस हुई तथा उसके बाद पत्रावली दर्ज की गई तथा बाद में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी कर दिया था परन्तु इसके उपरांत भी इंतकाल की कार्यवाही रेस्पोटंगण द्वारा मिली भगत कर रेस्पोडेगण संख्या 2 ता 7 के पक्ष में जारी कर दिया जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में मामला सबज्यूडिस चल रहा है। क्योकि राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील पैडिंग है तथा वहां पर स्थगन आदेश भी जारी किया गया है तथा वहां पर अभी अन्तिम निर्णय पारित नहीं हुआ है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है इसी आधार पर इंतकाल खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 फकीरचन्द के वारिस यह बात पता चली कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पता चली क्योकि फकीरचन्द का अभी तक वारिसनामा मृत्यु के बाद बना ही नहीं तथा बसंतसिंह के पक्ष में भी आदेश हुआ उसको भी किसी प्रकार का हिस्सा नहीं दिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए आनन–फानन में इंतकाल दिनांक 04.10.2023 को दर्ज कर दिनांक 05.10.2023 को मीटिंग में लेकर तस्दीक कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट को सर्वप्रथम इंतकाल की जानकारी आज से 10 रोज पूर्व जब अपीलांट के द्वारा जमाबंदी निकाली गई तो पता चली तो इसके बाद पटवारी से नकल इंतकाल प्राप्त की तो अपीलांट को पता चला कि रेस्पोडेटगण के नाम से इंतकाल दिनांक 05.10.2023 को हो गया है उसके बाद अपीलांट के द्वारा रिकार्ड चैक किया गया तथा नकल मिलते ही बिना किसी देरी के अपीलांट के द्वारा उक्त अपील ईल्म से अंदर अवधि पेश की जा रही है। अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया जा रहा है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन पूर्णतया साबित है अगर रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 द्वारा अपील में दर्ज भूमि को किसी अन्य को रहन बैय या मुन्तकिल कर दिया गया तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षर्ति कारित होगी जिसकी हकरसी किसी भी तरीके से नहीं की जा सकेगी। अपीलांट चांदीराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है और विवादित इंतकाल से प्रभावित पक्षकार है इसलिए अपील पेश करने के अधिकारी है। अपील अपीलांट जानकारी से अन्दर मियाद पूर्ण न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय के खेत्राधिकार व श्रवणिधकार में पेश की जा रही है। लिहाजा अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिया जावे कि चक 6 वाई के मु. न. 30 के किला नमबर 22 ता 25 की कृषि भूमि का इंतकाल ग्राम पंचयत चक 3 वाई द्वारा दिनांक 04.10.2023 को विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 के नाम से लिया गया उसे खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार अपीलांट ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष इंतकाल की अपील इस आश्य की पेश कि है कि खेमाराम को चक 6 वाई का मु.न. 30 के किली नम्बर 22 ता 25 कुल 4 बीघा रकबा बतौर रिफ्यूजी मिला था जिसकी सनद नहीं बनी थी और खातेदरी रकबा था, खेमाराम की मृत्यु के पश्चात इसके कोई औलाद नहीं होने पर भतीजे चांदीराम, तीर्थ, गुलाब, सवारी बाई को मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 31.01.1974 को वारिस घोषित किया गया। चांदीराम की मृत्यु के बाद अपीलांट चांदीराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है और उनके द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष जो रेस्पोडेंन्टसगण द्वारा मुकदमा नम्बर 13 / 2024 पेश किया था उसमें पक्षकार भी तथा तथा वह दावा फरीक चन्द ने मात्र गोदनामा के आधार पर पेश किया था तथा एक फर्जी वसीयत भी पेश की थी परन्तु पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 31.01.1974 को चांदीराम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जिसके खिलाफ अप्रार्थी / रेस्पोंटगण फकीरचन्द द्वारा सेटलमेंट कमीशनर नई दिल्ली के समक्ष धारा 22 डी.पी.सी. एण्ड आर. एक्ट 1954 के तहत अपील पेश की जो दिनांक 20.06.1975 को खारीज कर दी गई। इस प्रकार उक्त वाद न्यायालय में चलता रहा तथा दिनांक 22.08.2023 को आदेश पारित किया कि जिला कलैक्टर महोदय के पत्रांक 44–51 दिनांक 16.02.2022 के अनुसार इंतकाल की कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा की जावे। सर्वप्रथम तो उक्त इंतकाल करते समय पटवारी ने जिला कलैक्टर महोदय के पत्रांक 44–51 दिनांक 16.02.2022 का कोई किसी प्रकार का हवाला अपने इंतकाल में नहीं किया है। मात्र आनन–फानन में इंतकाल दर्ज किया गया था जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। जो भूमि अपील में दर्ज की गई है वह भूमि गैर खातेदारी भूमि है और गैर खतोदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है,। यह भी देखना है कि क्या गैर खातेदारी का इंतकाल हो सकता है या नहीं अगर हो सकता है तो किस कानून में होगा तथा उसमें पहले क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ऐसा अपने प्रस्ताव में पटवारी हल्का द्वारा नहीं लिखा गया तथा आगे कथन है कि न्यायलाय के समक्ष जो प्रस्ताव दिनांक 05.10.2023 से लेकर इंतकाल किया गया वह रिकार्ड भी पेश नहीं किया तथा ना ही रेस्पोडेट ने उसकी कोई कापी पेश की तो उक्त इंतकाल कैसे दर्ज हो गया ऐसा कोई भी तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। इसलिए भी उक्त इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इंतकाल निरस्त किया जावे। **वकील रेस्पोडेंटस की मुख्य जवाब बहस यह रही कि** इसी जमीन के सम्बन्ध में रविन्द कुमार ने फकीर चंद के नाम रकवा दर्ज किया गया था उसके खिलाफ इसी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। वह अपील दिनांक 14.06.2018 को खारिज हो चुकी है। अब फकीर चन्द की मृत्यु हो चुकी है। फकीरचंद के वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज हो चुका है। इसलिए रविन्द्र कुमार को इस आदेश के खिलाफ कार्यवाही करने कां कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पूर्व में उसके खिलाफ अदालत में निर्णय हो चुका है। इसी जमीन के सम्बन्ध में इसी न्यायालय से इस रकवा की खातेदारी सनद फकीर चन्द के नाम जारी हो चुकी है। खातेदारी के आधार पर फकीर चन्द के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया था इसलिए इस आदेश के खिलाफ अपील चलने योग्य नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा हस्तगत अपील इन्तकाल संख्या 1025 दिनांक 05.10.2023 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण 1025 दिनांक 05.10.2023 विधिवत एवम नियमानुसार सही दर्ज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि सावित नहीं होती

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनाक 05.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner